



सभी बीमाकृत बैंक	All Insured Banks
महोदय/महोदया,	Dear Sir/Madam
प्रीमियम का भुगतान, निक्षेप बीमा रिटर्न की प्रस्तुति और भुगतान का प्रकार	Premium payment, submission of Deposit Insurance Returns and mode of payment
प्रीमियम का भुगतान बीमाकृत बैंकों को उनकी कुल जमाराशि पर डीआईसीजीसी को प्रीमियम का भुगतान करने के लिए दो महीनों का समय दिया जाता है। प्रीमियम के भुगतान में देरी होने पर बैंकों को वित्तीय छमाही की शुरुआत से प्रीमियम भुगतान करने की तारीख तक बैंक दर से 8% अधिक दर पर दण्डात्मक ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। केवल एक दिन की देरी होने पर भी बैंक दो महीनों का दण्डात्मक ब्याज देने के लिए बाध्य है, अर्थात् मार्च 2016 को समाप्त छमाही के लिए भुगतान की नियत तारीख 30 नवंबर है। हालांकि यदि डीआईसीजीसी को 01 दिसंबर को भुगतान किया जाता है तो बैंक पर 01 अक्टूबर से 01 दिसंबर तक की अवधि के लिए ब्याज लगाया जाएगा। यह देखा गया है कि कई बार सहकारी बैंकों द्वारा अन्य बैंकों के माध्यम से भेजा गया भुगतान वापस हो जाता है और इस कारण उन पर ब्याज लगता है। अतः बैंकों को यह सूचित किया जाता है कि वे विप्रेषक बैंक से जानकारी प्राप्त करें कि क्या वास्तविक रूप में डीआईसीजीसी को भुगतान किया गया है या नहीं। उक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह बैंकों के अपने हित में है कि वे नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का भुगतान कर दें ताकि मार्च को समाप्त छमाही के लिए 30 नवंबर को या उससे पहले तथा सितंबर को समाप्त तिमाही के लिए 31 मई को या उससे पहले प्रीमियम का भुगतान डीआईसीजीसी को पहुँच जाए।	Premium Payment Insured banks are given two month time period to make premium payment to DICGC on its total deposits. In case of delay in premium payment, banks are liable to pay penal interest at 8 per cent above the Bank rate from the beginning of the financial half year till the date of payment. Bank is liable to pay penal interest of two months for even one day delay i.e. for half year ending March 2016, due date is Nov 30. However, if payment is made to DICGC on Dec 01, interest charged from bank would be from Oct 01 till Dec 01. It has been observed that many a times remittance made by a co-operative bank through other banks gets returned resulting in imposition of interest. Therefore, banks are advised to enquire from remitting bank whether the payment has been actually credited to DICGC. In view of all the above mentioned facts, it is in bank's own interest to pay premium within due date so that payment should reach to DICGC for half year ending March on or before November 30 and for half year ending September on or before May



निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

(भारतीय रिज़र्व बैंक की संपूर्ण स्वामित्ववाली संस्थाएं) Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India)

www.dicgc.org.in

31.

निक्षेप बीमा (डीआई) रिटर्न की प्रस्तुति

बैंकों द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम का निर्धारण पिछली छमाही के आखिरी दिन को कुल जमाराशि के आधार पर किया जाता है (मार्च 2016 को समाप्त छमाही के लिए जमा आधार 30 सितंबर 2015 है और भुगतान की आखिरी तारीख 30 नवंबर है) {डीआईसीजीसी सामान्य नियम, 19(2)}।

बैंक द्वारा प्राधिकृत दो अधिकारियों द्वारा विधिवत प्रमाणित डीआई रिटर्न प्रत्येक कैलेंडर छमाही के शुरू होते ही डीआईसीजीसी तक जल्द से जल्द पहुँच जानी चाहिए और किसी भी स्थिति में उस छमाही के दूसरे माह के आखिरी दिन के पहले पहुँच जानी चाहिए।

बैंक द्वारा जानबूझकर झूठी जानकारी वाली विवरणी बनाए जाने पर अथवा कोई महत्वपूर्ण जानकारी न दिए जाने पर प्राधिकृत अधिकारी अधिकतम तीन वर्ष के कारावास तथा अधिनियम {डीआईसीजीसी अधिनियम धारा 47(1)} के अनुसार अर्थदण्ड के लिए भी पात्र होंगे।

इसके अतिरिक्त यदि बैंक नियत तारीख के भीतर निक्षेप बीमा रिटर्न प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो उस पर प्रत्येक गलती के लिए दो हजार रुपयों का अर्थदण्ड लगाया जाएगा और लगातार दोषी पाए जाने पर पहली ऐसी गलती के बाद से लेकर लगातार दोषी पाए जाने की अवधि के दौरान प्रत्येक दिन के लिए अधिकतम सौ रुपए का अतिरिक्त अर्थदण्ड लगाया जाएगा {डीआईसीजीसी अधिनियम धारा 47(2)}

Submission of Deposit Insurance (DI) Returns

Premium payable by bank needs to be determined on the basis of its total deposits as on last day of the preceding half year (for half year ending march 2016, deposit base is September 30, 2015 and last date for payment is Nov 30).{DICGC General Regulations 19(2)}.

DI Returns should reach DICGC as soon as possible after the commencement of each calendar half-year **but in any event not later than the last day of the second month of that half-year** duly certified by two officials authorised by bank.{DICGC General Regulations 19(3)}.

Banks wilfully making statement which is false in any material or omitting any substantial information shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine as per act.{DICGC Act Section 47(1)}.

Further, if a bank fails to submit deposit Insurance returns within due date, it shall be punishable with a fine of two thousand rupees in respect of each offence and in the case of a continuing failure, with an additional fine which may extend to one hundred rupees for every day during which the failure continues after conviction for the first such failure.{DICGC Act Section 47(2)}.

प्रधान कार्यालय : भारतीय रिज़र्व बैंक बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने, पोस्ट बॉक्स सं.4571 मुंबई सेंट्रल, मुंबई- 400 008

टेलिफोन: 022-2306 2160-64, 23014655,23011991, 23084121 फैक्स: 022-23018165,23015662,23021131, ई-मेल : dicgc@rbi.org.in

HEAD OFFICE : Reserve Bank of India Building, Second Floor, Opp. Mumbai Central Railway Station, Post Box No.4571Mumbai Central, Mumbai-400 008

Tel: 022-2306 2160-64, 23014655,23011991, 23084121 Fax: 022-23018165,23015662,23021131, mail: dicgc@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाए



निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

(भारतीय रिज़र्व बैंक की संपूर्ण स्वामित्ववाली सहायगी Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India)

www.dicgc.org.in

आरटीजीएस के द्वारा प्रीमियम का प्रेषण


यह देखा गया है कि कुछ बैंक अभी भी प्रीमियम का प्रेषण चेक/ ड्राफ्ट द्वारा कर रहे हैं। कृपया यह नोट करें कि डीआईसीजीसी को जिस दिन लेखा-पत्र (instrument) प्राप्त होता है उस तारीख को ही प्रीमियम के भुगतान की तारीख माना जाता है। ऐसी स्थिति में लेखा-पत्र (instrument) देरी से प्राप्त होने पर भुगतान में विलंब माना जाता है और बैंक पर दण्डात्मक ब्याज लगाया जाता है।

दो लाख रुपए से कम प्रीमियम अदा करने वाले बैंक राशि का भुगतान एनईएफटी द्वारा करें तथा दो लाख से अधिक प्रीमियम अदा करने वाले बैंक राशि का भुगतान आरटीजीएस द्वारा करें। एनईएफटी / आरटीजीएस के माध्यम से किए जानेवाले भुगतान की जानकारी का ब्यौरा इसके अंतर्गत दिया गया है।

वे बैंक जिनके पहले से ही नामे शेष हैं और वे यदि चेक द्वारा भुगतान करते हैं तो चेक (instrument) की उगाही होने तक अतिरिक्त ब्याज लग जाता है।

अतः, उक्त सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए यह बैंकों के अपने हित में है कि वे डीआईसीजीसी को डीआई रिटर्न समय पर प्रस्तुत करें तथा सही निर्धारणीय राशि पर प्रीमियम का भुगतान आरटीजीएस/ एनईएफटी के माध्यम से करें।

भवदीया,


(आर. एस. मोरिया)
उप महाप्रबंधक

Remittance of premium through RTGS


It is observed that banks are still remitting premium through cheques/ drafts. It may be noted that premium received in DICGC is taken as the date of receipt of instrument. In case of delayed receipt of instrument it is considered as delayed payment and penal interest is charged on bank.

Banks making premium payment less than 2 lakh may remit through NEFT and more than 2 lakh needs to remit through RTGS respectively. Particulars of payment details through NEFT/RTGS are given hereunder.

Banks already having debit balances sending payment through cheques leads to further interest accumulation till the time instrument is realised.

Thus, considering all the above factors, it is in banks' own interest to pay premium through RTGS/NEFT on correct assessable deposits with timely submission of DI returns to DICGC.

Yours faithfully,


(R.S. Moria)
Deputy General Manager

प्रधान कार्यालय : भारतीय रिज़र्व बैंक बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने, पोस्ट बॉक्स सं.4571 मुंबई सेंट्रल, मुंबई- 400 008

टेलिफोन: 022-2306 2160-64, 23014655,23011991, 23084121 फैक्स: 022-23018165,23015662,23021131, ई-मेल : dicgc@rbi.org.in

HEAD OFFICE : Reserve Bank of India Building, Second Floor, Opp. Mumbai Central Railway Station, Post Box No.4571Mumbai Central, Mumbai-400 008

Tel: 022-2306 2160-64, 23014655,23011991, 23084121 Fax: 022-23018165,23015662,23021131, mail: dicgc@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए

DETAILS OF BANK ACCOUNTS OF THE CORPORATION

SR NO.	REMITTANCES THROUGH	BANK A/c No.	IFSC No.
1	RTGS	8710596	DICG0000001
2	NEFT	8705688	DICG0000002